कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2491 / री.ए.डी.एम / 2021 इन्दौर, दिनांक 25–5–2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय– माननीय् उच्च न्यायालय, जबलपुर (डिवीजन बैंच) द्वारा डब्ल्यू पी कमांक 8914 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 24–5–2021 बाबद्।

संदर्भ– इस कार्यालय द्वारा पारित आदेश कमांक 2364–2365 / 2021 इन्दौर, दिनांक 16–5–2021

विषयान्तर्गत इस कार्यालयीन द्वारा जारी संदर्भित आदेश के तारतम्य में माननीय् उच्च न्यायालय, जबलपुर (डिवीजन बैंच) द्वारा रिट पीटीशन कमांक 8914 / 2020 के अन्तर्गत आईए कमांक 5141 / 2021 का अंतिम निराकरण करते हुए कलेक्टर, जिला इन्दौर को निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत् संदर्भित आदेश का रिव्यु करते हुए किराना / ग्रोसरी दुकानों तथा सब्जी / फ्रुट वेंडर्स के संबंध में न्यायसंगत एवं उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था के तहत् इन गतिविधियों को सप्ताह में पॉच दिन इस प्रकार से विनियमित करना है ताकि शहर के नागरिकों तथा छोटे वेंडर्स किसी कठिनाई का सामना ना करें।

इन्दौर जिले में वर्तमान में पाजीटीवीटी दर 7.37 विद्यमान है तथा दिनांक 24–5–2021 को जिले में कोविड एक्टिव मरीजों की संख्या 9779 है। कोविड प्रबंधन के तहत् जिले के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पाजीटीवीटी दर को कम करने के प्रयास विभिन्न स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जा रहा है। दिनांक 24–5–2021 को कुल पाजीटीव मरीजों की संख्या 648 आई थी। राज्य शासन की मंशानुसार दिनांक 1 जून से शहर में विभिन्न गतिविधियों को अनलॉक प्रारंभ करने के लिए उक्त पाजीटीवीटी दर तथा प्रतिदिन प्राप्त होने वाले पााजीटीव मरीजों की संख्या दोनों में ही अभी कमी लाई जाना आवश्यक है ताकि धीरे–धीरे अनलॉक होने की स्थिति में कोविड पाजीटीव मरीजों की संख्या में पुनः बढोतरी न होने लगे। अतः इन परिस्थितियों में माननीय् उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का पालन करते समय उक्त उल्लेखित गतिविधियों का विनियमितिकरण इस प्रकार से किया जाना है कि संक्रमण की गति में बिना ज्यादा विपरीत प्रभाव आए ये गतिविधियॉ पुनः चालु की जा सकें। अतः उक्त परिस्थितियों में संदर्भित आदेश के तारतम्य में निम्नानुसार संशोधन आदेशित किया जाता है :–

1– यह कि इन्दौर शहर में खेरची श्रेणी की निजी किराना / ग्रोसरी दुकानों के संचालक फोन पर ग्राहकों से आर्डर लेकर होम डिलेवरी कर सकेंगे। दुकानों पर ग्राहकों का आना प्रतिबंधित रहेगा तथा यह दुकानें बंद रखते हुए ही होम डिलेवरी की गतिविधि की जा सकेंगी। किराना / ग्रोसरी की समस्त थोक बाजार बंद रहेंगे तथा यह थोक दुकान

संचालक खेरची दुकान संचालकों से फोन पर आर्डर प्राप्त कर अपनी दुकान से भिन्न लोकेशन पर स्थित गोडाउन से किराना/ग्रोसरी का सामान भेज सकेंगे। सियागंज, मल्हारगंज, मालवा मिल एवं छावनी तथा अन्य स्थानों की थोक बाजार दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। खेरची किराना/ग्रोसरी दुकानों द्वारा यह घर-घर वितरण सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे।

2- इन्दौर शहर में फल-सब्जी का विक्रय केवल चलायमान ठेलों के माध्यम से किया जा सकेगा तथा स्थाई दुकानें, शहर के हाट-बाजार अथवा सड़क किनारे फुटपाथ पर नीचे सब्जी/फल बैठकर विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। ये चलायमान ठेला संचालक निम्नानुसार 7 स्थानों से अपने ठेले में विक्रय करने हेतु अपनी सब्जी ग्रामीणों से अथवा फल व्यापारियों से प्राप्त कर सकेंगे।

(1) उज्जैन रोड़ बरदरी ग्राम औद्योगिक क्षेत्र आईडीए स्कीम झोन-17
(2) देवास रोड़ एबी रोड शिप्रा/एमआर-11 आईडीए स्कीम झोन-8
(3) नेमावर रोड़ देव गुराड़िया औद्योगिक क्षेत्र झोन-18/19
(4) खण्डवा रोड आसाराम बापू कंपाउंड/खण्डवा रोड तेजाजी नगर ग्वाला कालोनी मोरोद गांव झोन-13
(5) ए बी रोड़ महू रोड, रेती मंडी आईडीए स्कीम झोन-13
(6) धार रोड बांक गांव (अभिनंदन पेट्रोल पंप के सामने)
(7) एयरपोर्ट रोड, बिजासन टेकरी/आरएपीपीसी झोन-16

फल-सब्जी ठेले वाले विक्रय सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे।

3- शहर में स्थित चोईथराम फल-सब्जी मंडी तथा निरंजनपुर सब्जी मंडी यथावत बंद रहेगी क्योंकि इन मंडियों में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन अत्यधिक होता है। शहर में फल-सब्जी विक्रय कर रहे ठेले चलायमान रहेंगे तथा ठेलों के झुण्ड बनाकर मंडी स्वरूप में विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।

4- संदर्भित आदेश के कंडिका क्रमांक-2 एवं 3 में उक्त संशोधित आदेश के अतिरिक्त अन्य बिन्दु पूर्वानुसार प्रभावशील रहेंगे।

5- दुध का घर-घर वितरण अथवा डेयरी से वितरण पुर्वानुसार प्रातः 6 से 9 तथा सांय 5 से 7 यथावत जारी रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश **दिनांक 25/5/2021** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 2492 / री0ए0डी0एम0 / 2021 इन्दौर, दिनांक 25–5–2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, झोन –1–2–3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
11. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
12. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13. थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
14. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.